न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2004–दो/14 विरूद्ध आदेश, दिनाक 25–2–2014 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील आष्टा के प्रकरण क्रमांक 44/अ–6/11–12.

सैयद इकबाल पुत्र श्री सैयद मंजूर अहमद,
निवासी भोपाल, हाल निवासी पुतलीघर, भोपाल म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

म0 प्र0 शासन

.....अनावेदक

श्री एस0 के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5.1.16 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण क्रमांक 2004–दो/14 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार आष्टा के प्रकरण क्रमांक 44/अ–6/11–12 में पारित आदेश दिनांक 25–2–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ है।

2./ प्रकरण में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गए । अनावेदक म0 प्र0 शासन की ओर से प्रकरण में अभिलेख के आधार पर निर्णय लेने का निवेदन किया गया है । आवेदक अधिवक्ता ने बताया कि उनके पक्षकार द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष मूल प्रकरण में वाद भूमि कस्बा आष्टा की खसरा नंबर 99 100 रकबा 18.32 एकड़ एवं खसरा नंबर 117 रकबा 12.71 एकड़ उनके पिता को भोपाल के पूर्व नबाब से प्राप्त हुई होने का आधार लेते हुए, उस भूमि के वर्ष 2007 के बाद से राजस्व अभिलेखों में शासकीय दर्ज हो जाने के कारण प्रविष्टि का सुधार कर आवेदक का राजस्व रिकार्ड में स्वामित्व दर्ज करने के लिए आवेदन लगाया, जिस पर तहसीलदार ने दिनांक 27–7–12 को आदेश पत्रिका पर लिखा कि यह आवेदन संहिता (एम0पीएलआरसी) की धारा 115, 116 के अंतर्गत ग्राह्य योग्य है या नहीं–सुनवाई हेतु नियत ।

इसके बाद अनेक पेशियों के उपरांत दिनांक 25–2–14 को आवेदक की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए, तहसीलदार ने आर्डर शीट पर संक्षिप्ततः यह लिखकर कि आवेदन धारा 115 सहपठित 116 में नहीं आता, प्रकरण खारिज कर दिया। विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क था कि तहसीलदार को अपने निर्णय के कारण अभिलिखित किए बगैर प्रकरण समाप्त नहीं करना चाहिए था । इस आधार पर उन्होने प्रकरण में तहसीलदार को आवेदक को सुनकर बोलता हुआ आदेश पारित करने के लिये प्रकरण प्रत्यावर्तित किए जाने का निवेदन किया ।

3/ मैने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया, जिससे आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क में उठाए गए बिन्दु पुष्ट होते हैं । अतः मैं तहसीलदार, आष्टा को यह निर्देश देता हूँ कि वे अपने न्यायालय के प्रकरण कमांक 44/अ6अ/11–12 पुनः खोले तथा हितबद्ध पक्षकारों को विधि एवं सहज न्याय के सिद्धांतों के अनुसार पक्ष समर्थन का अवसर देते हुए एवं अभिलेखीय तथा अन्य साक्ष्यों को रिकार्ड पर लेते हुए प्रकरण में नए सिरे से बोलता हुआ आदेश, राजस्व मण्डल के इस आदेश की उन्हें संसूचना के अधिकतम चार माह के भीतर, पारित करना सुनिश्चित करें । आवेदक को भी साथ में आदेशित किया जाता है कि वह इस राजस्व मण्डल के आदेश की उनको संसूचना के अधिकतम 15 दिवस के भीतर अथवा तहसीलदार की ओर से संबंधित प्रकरण के अंतर्गत उन्हें सूचना पत्र प्राप्त होने के अनुसार पेशी दिनांक पर, तहसीलदार आष्टा के समक्ष उपस्थित होकर अपने पक्ष समर्थन साक्ष्य आदि हेतु योग्य कार्यवाही प्रारंभ करें, जो उनके द्वारा इस अनुसार नहीं किये जाने की दशा में, तहसीलदार शासकीय अभिलेखों, साक्ष्यों आदि के आधार पर, उनके न्यायालय के संबंधित प्रकरण में बोलता हुआ आदेश पारित करने हेतु स्वतंत्र रहेंगें ।

आदेश पारित ।
तहसीलदार आष्टा एवं पक्षकार सूचित हो ।
रिकार्ड वापस हो ।
प्रकरण समाप्त ।
दा0द0 हो ।

5.1.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर